(13)

पत्रांक: 1060 /38-9-08/2008-7/2008

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- जिलाधिकारी
2- जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी
गोरखपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, सीतापुर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 19 मई, 2008

विषयः- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एवं स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु ई. गवर्नेन्स सुविधा का प्रारम्भ।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम उ0प्र0 के क्रियान्वयन में पारदर्शिता प्रतिबद्धता तथा गतिशीलता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के चिन्हित 6 जिलों में पायलट बेस पर ई-सुविधा का प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। इस सुविधा से एक ओर ग्रामीण जनता एवं जन प्रतिनिधियों के श्रम एवं समय की बचत होगी वहीं दूसरी ओर प्रशासन तन्त्र में लगे कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सूचना के आदान प्रदान में सहूलियत प्राप्त होगी।

योजनान्तर्गत विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में से कतिपय चिन्हित क्रियाकलाप यथा-जॉब कार्ड प्राप्त करने हेतु आवेदन, जॉब कार्ड आबंटित कर उसका पंजीकरण/जॉब कार्ड नं0 आवेदन को सूचित करना, कार्य/रोजगार की माँग करना, रोजगार की माँग के सापेक्ष रोजगार का आबंटन करना, ग्राम पंचायत द्वारा कार्यक्रम अधिकारी से धनराशि की माँग करना, माँग के सापेक्ष धनराशि के आबंटन/अवमुक्ति की सूचना माँग कर्ता को उपलब्ध कराना बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन तथा कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उसका निस्तारण इत्यादि के सम्बन्ध में ई-सुविधा का प्रयोग किया जा सकता है। ई-सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

- ई-सुविधा से आशय कम्प्यूटर पर उपलब्ध इन्टरनेट के माध्यम से सुविधा प्राप्त करना।
- विकास खण्ड/ग्राम स्तर पर एक सेन्टर होगा जहाँ कम्प्यूटर/इण्टरनेट इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध होगी।
- इस सेक्टर पर सरकार द्वारा अधिकृत एक ऑपरेटर होगा।
- इस ऑपरेटर को सरकार द्वारा एक User I.D. तथा पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा जिसे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वह प्रयोग करेगा।
- जॉब कार्ड हेतु आवेदन, जॉब कार्डों के वितरण, कार्यों की माँग कार्य की आपूर्ति, धनराशि की माँग, धनराशि की अवमुक्ति, बेरोजगारी भत्ते की माँग का आवेदन एवं बेरोजगारी भत्ते की अवदन पत्र का निस्तारण इत्यादि समस्त सूचनाएं तत्काल ऑन लाइन करनी होंगी तथा प्रत्येक सप्ताह इसे अद्यतन (Update) करना होगा। अद्यतन करने का उत्तरदायित्व जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी तथा

(---- 2)

(14)

एन0आई0सी0 के जिला स्तरीय अधिकारी का होगा। इस व्यवस्था का राज्य स्तर से अनुश्रवण आयुक्त ग्राम्य विकास तथा (S.I.O) & NIC का होगा।

- विकास खण्ड स्तर पर इन सूचनाओं को अद्यतन करने का कार्य अधिकृत ऑपरेटर का होगा।
- C.S.C. पर कोई भी इच्छुक व्यक्ति जिसे जॉब कार्ड की आवश्यकता हो अपना आवेदन पत्र भरने के पश्चात कम्प्यूटर प्रिन्ट आऊट उसे प्राप्त होगा। जिसकी सूचनाएं पढ़कर आवेदन द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा अथवा अंगूठा निशानी दी जायेगी। जिसे Digitized किया जायेगा। आवेदक को अपना फोटो ग्राफ उपलब्ध कराना होगा जिसे ऑपरेटर द्वारा Digitized किया जायेगा।
- ऑपरेटर द्वारा आवेदन पत्र को e-District Application में Submit किया जायेगा। आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद ऑपरेटर द्वारा आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी।
- ऑपरेटर द्वारा प्रतिदिन प्राप्त आवेदन पत्रों के प्रिंट आऊट सचिव, ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- ग्राम पंचायत को धनराशि की आवश्यकता होने पर ई–सुविधा के माध्यम से धनराशि की माँग कार्यक्रम अधिकारी से की जा सकती है। धनराशि के माँग हेतु निर्धारित रूप पत्र (माँग–पत्र) भर कर ऑपरेटर को उपलब्ध कराना होगा। ऑपरेटर द्वारा आवेदन पत्र फीड कर प्रिन्ट आऊट ग्राम प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जायेगा जिसे पढ़कर सही होने की दशा में हस्ताक्षर कर ऑपरेटर को उपलब्ध कराया जायेगा। ऑपरेटर द्वारा इसे वेब–साइट पर लोड करते हुए हार्ड कॉपी कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।
- धनराशि की माँग के आवेदन पत्र के साथ पूर्व में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण–पत्र तथा सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की रिपोर्ट भी उपलब्ध करायी जायेगी।
- आवेदन पत्र लोड कराने हेतु निर्धारित धनराशि ऑपरेटर को उपलब्ध करानी होगी।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना:–

- व्यक्तिगत लाभार्थियों को ऋण की सुविधा के आवेदन का प्रारूप निर्धारित किया जावे।
- स्वयं सहायता समूह को रोजगार स्थापित करने हेतु रोजगार की माँग की प्राथमिकता को निर्धारित करना होगा।
- N.G.O./Facilitator को योजना में कार्य करने हेतु कार्य की माँग को भी शामिल करना होगा।

13.5.08

भवदीय

(जे0 एन0 चैम्बर)
प्रमुख सचिव,